जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

शैक्षिक शाखा–II

16 सितम्बर, 2016

परिपत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार ने दिसम्बर 2008 में 'इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इन्सपायर्ड रिसर्च (इन्सपायर)' कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्य परिषद ने दिनांक 14.11.2011 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प संख्या 6.1 के द्वारा विज्ञान संस्थानों में नये प्रतिभाशाली शिक्षकों की भर्ती के लिए डीएसटी के इन्सपायर फैकल्टी कार्यक्रम योजना को अंगीकृत करने का अनुमोदन किया। इन्स्पायर फैकल्टी अवार्ड का ध्येय युवा वैज्ञानिकों को स्वतंत्र शोध के लिए 5 वर्षीय संविदा शोध अवार्ड प्रदान करने तथा भविष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नेतृत्व के रूप में उभारना है। संबंधित संस्थानों/विशेष केंद्रों में फैकल्टी को शोध के लिए प्रेरित करने हेतु आवश्यक लैब/लॉजिस्टिक सुविधाओं को प्रदान करने के क्रम में यह महसूस किया जा रहा है कि जेएनयू में इन्स्पायर फैकल्टी नियुक्त करने के लिए भी उचित दिशानिर्देश तैयार करने की जरूरत है।

कुलपति ने जेएनयू में डीएसटी इन्स्पायर फैकल्टी हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुमोदन किया है।

1. इंसपायर फैकल्टी अपने अवार्ड लैटर तथा अपने जीवनवृत्त जिसमें उनकी जन्मतिथि, वर्ग एवं उच्च डिग्री प्राप्त होने के वर्ष का उल्लेख हो, के साथ सबसे पहले संबंधित स्कूल के डीन अथवा विशेष केन्द्र के अध्यक्ष से मिलेंगे।
2. संस्थानों के डीन/विशिष्ट केंद्रों के अध्यक्ष को संकाय सदस्यों के साथ इस मामले पर चर्चा करनी होगी कि, क्या संस्थान/विशिष्ट केंद्र इन्स्पायर फैकल्टी को उनके शोध कार्यों की उत्कृष्टता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर सकता है और संकाय विकास हेतु उन्हें एक संभाव्य संसाधन के रूप में उनके विशेषीकरण क्षेत्र के अनुसार उन्हें आवश्यक लैब एवं लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान कर सकता है।
3. यह भी निर्णय किया जाए कि इन्स्पायर फैकल्टी को एफिलियशन दिए जाने पर वह संस्थान/विशेष केंद्र के शिक्षण भार को साझा करने में किस तरह मदद कर सकते हैं।
4. इस संबंध में प्रस्ताव संस्थान/विशेष केन्द्र की संस्तुति के साथ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु भेजा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व अभ्यर्थी को संस्थान /विशिष्ट केंद्र में ज्वाइन करने की अनुमति न दी जाए। अनुरोध है कि इस तरह के प्रस्ताव(वों) को अग्रिम रूप से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए जिससे कि अन्तिम समय/अंतिम तिथि की दौड़धूप से बचा जा सके।
5. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत शैक्षिक शाखा–II डीएसटी इन्स्पायर फैकल्टी नियम और दिशा निर्देश के अनुसार इन्स्पायर फैकल्टी के प्रवेश से संबंधित कार्यालय आदेश जारी करेगा और कुलसचिव द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित वचनवद्ध को निधि जारी करने के लिए डीएसटी को अग्रेषित करेगा।
6. इस सबंध में विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी वित्तीय जिम्मेदारी नहीं होंगी। भारत और विदेश में यात्रा से संबंधित सभी खर्चे अभ्यर्थी की डींएसटी इन्स्पायर फैकल्टी रिसर्च ग्रांट से किए जाएंगे। तथापि, विश्वविद्यालय जहां आवश्यक हो, संबंधित संस्थान/केंद्र की सिफारिश पर ड्यूटी लीव की मंजूरी देगा।
7. इन्स्पायर फैकल्टी द्वारा विश्वविद्यालय में स्थाई फैकल्टी पद पर आमेलन के लिए कोई भी दावेदारी नहीं मानी जाएगी। तथापि, अभ्यर्थी डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड के समय विश्वविद्यालय या इससे बाहर कहीं भी स्थायी फैकल्टी पद के लिए आवेदन कर सकता/सकती है।
8. डीएसटी इन्स्पायर फैकल्टी अवार्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार इंस्पायर फैकल्टी दिशानिर्देशानुसार विनियमित होगी।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी विज्ञान संस्थानों के डीन और विशेष केंद्रों के अध्यक्ष को परिचालित किए जाते हैं।

(प्रमोद कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि

1. सभी विज्ञान संस्थानों (स्कूलों) के डीन।
2. अध्यक्ष, आणविक चिकित्सा–शास्त्र विशेष केंद्र/स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंसिस।
3. निदेशक, सीआईएस।
4. कुलपति/कुलदेशिक–I/कुलदेशिक–II/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक/वित्त अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष के निजी सचिव।

1 (58 — 65)

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY
ACADEMIC BRANCH-II

16 September 2016

CIRCULAR

The Department of Science and Technology (DST), Government of India, has launched the "Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE)" programme in December 2008. The Executive Council in its meeting held on 14.11.2011 vide Resolution 6.1 approved the adoption of INSPIRE Faculty Programme Scheme of DST to recruit new dynamic faculty in Science Schools. The Inspire Faculty Award intends to provide 5 years contractual research award to young achievers for independent research and emerge as a leader in future science & technology. In order to provide necessary lab/logistic facility to the Inspire faculty in the concerned Schools/Special Centres for conducting research, it is felt that proper guidelines may be framed to induct the INSPIRE faculty in JNU.

The Vice-Chancellor has approved the following guidelines for DST Inspire faculty in JNU:

1. The INSPIRE faculty will first approach to the concerned Dean of School or Chairperson of Special Centre alongwith the award letter and his CV indicating his date of birth, category and year of award of highest degree.

2. The Dean of School/Chairperson of Special Centre will be required to discuss the matter among the faculty members whether the School/Centre is willing to provide a congenial atmosphere to the Inspire Faculty to excel in their work, and should view them as potential assets for faculty development and to undertake providing them the necessary lab & logistic facility as per his/her field of specialization.

3. It may also be decided how the INSPIRE faculty can help in sharing the teaching load of the School/Special Centre if he/she is given affiliation.

4. The proposal may be forwarded for approval of the Competent Authority alongwith recommendations of the School/Special Centre. **It may be ensured that the candidate should not be allowed to join the School/Special Centre without prior approval of the Competent Authority.** It is desirable to endorse such proposal(s) well in advance for approval so that last minute rush/last date can be avoided.

5. After approval of the Competent Authority, the Academic Branch-II will issue an Office Order regarding induction of the INSPIRE faculty as per DST Inspire Faculty rules and guidelines and forward the Undertaking duly signed by the Registrar to DST for releasing funds.

6. There will be no financial liability on the part of the University. All expenditure on account of travel within India or abroad will be met by the candidate out of his DST Inspire Faculty Research Grant. However, the University will sanction duty leave on the recommendation of the School/Centre concerned wherever necessary.

7. No claim will be entertained from the Inspire Faculty to absorb him/her on a permanent faculty position in the University. However, the candidate is free to apply for a permanent faculty position in the University or elsewhere during the tenure of DST Inspire faculty award.

8. The DST Inspire faculty award will be regulated as per Inspire faculty Guidelines of Department of Science and Technology, Government of India.

The above guideline is circulated among all Deans of Science Schools and Chairperson of Special Centres for strict compliance.

Pramod

(Pramod Kumar)
Registrar

Cc:

1. All Deans of Science Schools
2. Chairperson, SCMM/SCNS
3. Director, CIS
4. PS to VC/Rector-I/Rector-II/Registrar/CoE/FO/Librarian